छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा पंचम सत्र अंक-12

<u>रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025</u>

(फाल्गुन 21, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न संख्या- 3 (क्रमांक 226) (मंगलवार दिनांक 25 फरवरी, 2025 की प्रश्नोत्तरी का स्थगित तारांकित प्रश्न)

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 01, 02, 04, 05, 06, 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री राजेश मूणत अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 49 तारांकित एवं 79 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 03, की चर्चा के दौरान डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या-01 की चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-5-7/आठ-परि./2023, दिनांक 27 दिसंबर, 2024, **पटल पर रखा**।

4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

(1) बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को अपराह्न 2.30 बजे से छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित सेंट्रल हॉल के सम्मुख स्थित लॉन में विधायक क्लब एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से **"होली मिलन समारोह"** आयोजित है, जिसमें माननीय सदस्यगण के साथ श्री राकेश तिवारी एवं साथियों द्वारा **"फाग गीत"** तथा पद्श्री डॉ.सुरेन्द्र दुबे द्वारा हास्य कविता पाठ का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जावेगा। आप सभी माननीय सदस्यगण उक्त **"होली मिलन समारोह"** में सादर आमंत्रित हैं।

(2) आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गयी है । कृपया, सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अनुज शर्मा, सदस्य ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में ई-वे बिल जांच के नाम पर अवैध वसूली किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री ओंकार साहू, सदस्य ने धमतरी जिले में अवैध प्लॉटिंग किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(2) श्रीमती चातुरी नंद

(3) श्री मोतीलाल साहू

(4) श्रीमती रायमुनी भगत

(5) श्री इन्द्र साव

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती गोमती साय

(2) श्री विक्रम मण्डावी

(3) श्री मोतीलाल साहू

(4) श्री भोलाराम साहू

(5) श्रीमती संगीता सिन्हा

(6) श्री अनुज शर्मा

(7) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा

(8) श्रीमती शेषराज हरवंश

(9) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(10) श्री उमेश पटेल

(11) श्री रिकेश सेन

(12) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा

8.शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025)

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) पुरःस्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) पुरःस्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

(1)	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025)	15 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025)	45 मिनट

9. वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री ने अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-15, आदिम जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या-33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या-42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या-49, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या- 53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या-64, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित मांग संख्या-66, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या-68, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-82, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-83, कृषि से संबंधित मांग संख्या-13, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-54 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-33 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, दिलीप लहरिया, **मांग संख्या-64** पर श्री दिलीप लहरिया, **मांग संख्या-66** पर श्री भूपेश बघेल, **मांग संख्या-68** पर श्री कुंवर सिंह निषाद, **मांग संख्या-13** पर सर्वश्री भूपेश बघेल, लखेश्वर बघेल, कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह, दिलीप लहरिया, **मांग संख्या-54** पर सर्वश्री भूपेश बघेल, संदीप साहू, ब्यास कश्यप के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री ब्यास कश्यप, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री धरमलाल कौशिक,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दिलीप लहरिया, धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

अपराह्न 2.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 (फाल्गुन-26, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा